UPGK010067352026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 2919/2026

सुरेश मौर्या पुत्र ढोढ़ई मौर्या, उम्र- लगभग 68 वर्ष, निवासी ग्राम- बघाड़ महादेवा, थाना- चौरीचौरा, जिला- गोरखपुर।

.....**आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....**विपक्षी**

मु०अ०सं०- 188/2026
अंतर्गत धारा-85, 80(2), 352, 115(2) B.N.S. व धारा- 3/4 D.P.Act
थाना- चौरीचौरा, जनपद-गोरखपुर।

दिनांक- 22.07.2026

1. आवेदक/अभियुक्त द्वारा यह जमानत प्रार्थना पत्र मु०अ०सं०-188/2026, अंतर्गत धारा- 85, 80(2), 352, 115(2) B.N.S. व धारा- 3/4 D.P.Act, थाना- चौरीचौरा, जनपद-गोरखपुर के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथ पत्र से समर्थित है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है तथा उसका कोई भी जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी की पुत्री सत्यभामा की शादी दिनांक 04.02.2020 को विवेक के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही आए दिन पीड़िता के साथ घरेलू हिंसा मार पीट गाली गलौज एवं पैसे को लेकर दबाव बनाया और प्रताड़ित किया जाता था। विवेक मौर्य, विपिन मौर्य, सुरेश मौर्य, वन्दना मौर्य व लीला देवी द्वारा वादी की पुत्री प्रताड़ित करके तथा दहेज के लिए दबाव बनाकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी दिनांक 23.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना स्पष्टीकरण के विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी 68 वर्षीय अत्यन्त गरीब, वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति है। किसी प्रकार दवा ईलाज पर जिन्दा है। उल्लेखनीय है कि मृतका ससुराल में उचित मान, सम्मान के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रही है। यह इस तथ्य से प्रमाणित है कि विवाह के करीब 1 साल बाद ही मृतका को उसके पति के संसर्ग से पुत्र अवी मौर्या पैदा हुआ, जिसकी उम्र वर्तमान में लगभग 5 वर्ष है। वास्तव में मृतका को गर्भाशय से सम्बन्धित गम्भीर बीमारी हो गयी थी। उसका पति सहअभियुक्त विवेक मौर्या गोरखपुर शहर के प्रतिष्ठित अस्पताल एम्स के साथ-साथ अन्य कई प्रतिष्ठित अस्पतालों में मृतका का ईलाज करवा रहा था। कुछ माह पूर्व ही गोरखपुर शहर के ए-वन

हास्पिटल में मृतका के बच्चेदानी का आपरेशन भी उसके पति ने करवाया था। मृतका का पति रोजी रोटी के सिलसिले में अहमदाबाद गुजरात में रहता है। मृतका के खर्च एवं दवा-ईलाज आदि के लिए लगातार रूपया भेजता रहा है। प्रार्थी के साथ-साथ मृतका का पति एवं परिवार के बाकी लोग उसकी समुचित देख-रेख करते रहे है। वह बहुत ही सुखमय वैवाहिक जीवन व्यतीत करती रहती है। यह भी उल्लेखनीय है कि मृतका के माता-पिता व अन्य परिवार के लोग रायपुर शहर में रहते है। मृतका भी अक्सर वहाँ जाती रहती थी। मृतका के वहाँ रहने के दौरान भी उसके खर्च एवं दवा-ईलाज के लिए मृतका के पिता/वादी मुकदमा रामकिशुन एवं मृतका की बहन रेनू मौर्या के खाते में लगातार रूपये भेजता रहता था। वहाँ की प्रतिष्ठित डाक्टर के वहाँ भी मृतका का ईलाज होता रहा है। वास्तव में मृतका अपनी बीमारी को लेकर कुछ महिने से अवसाद में रहने लगी। उसके मन में यह डर बैठ गया था कि उसे कैंसर की गम्भीर बीमारी हो जायेगी। वह हमेशा गुमसुम रहती थी। बार-बार वह कहती थी कि मैं अब ज्यादा दिन जी नही पाउंगी। हमारे न रहने पर हमारे अबोध बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जायेगा। घटना की जानकारी होते ही मृतका को ईलाज हेतु तत्काल सी०एच०सी० अस्पताल चौरीचौरा ले जाया गया, परन्तु उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। मृतका का पति रोजी रोटी के सिलसिले में अहमदाबाद गुजरात में रहता है। घटना की जानकारी पाते ही किसी तरह ट्रेन से दिल्ली पहुँचा। दिल्ली से फ्लाइट से गोरखपुर आया। उस समय पोस्टमार्टम के बाद मृतका के शव के दाह संस्कार की तैयारी चल रही थी। मृतका के पति ने दाह संस्कार किया। उल्लेखनीय है कि मृतका के शव को पंचायतनामे के समय वादी मुकदमा एवे उसके परिवार वालों के साथ-साथ प्रार्थी एवं हमारे परिवार के लोग एवं रिश्तेदार मौजूद थे। पंचायतनामे के समय वादी मुकदमा के साथ-साथ मृतका के मायके के अन्य लोग इस बात से संतुष्ट थे कि इस घटना के लिए प्रार्थी अथवा परिवार का कोई सदस्य जिम्मेदार नहीं है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं परिवार के सभी सदस्यों द्वारा सब कुछ ईमानदारी पूर्वक किया गया। प्रार्थी एवं परिवार के सभी लोगों को किसी प्रकार का अपराध बोध नहीं था। क्योंकि वे सब जानते थे कि मृतका की मृत्यु के लिए वे कदापि जिम्मेदार नहीं है। बाद को प्रार्थी के परिवार के कुछ दुश्मनो ने वादी मुकदमा को बरगला दिया कि सहअभियुक्त विवेक मौर्या/मृतका का पति दूसरा विवाह कर लेगा तो उसके बच्चे की देख-रेख, शिक्षा दीक्षा ठीक से नहीं होगा। इन्हीं सबके बहकावे में आकर वादी मुकदमा ने मृतका के पति के हिस्से की जमीन जायजाद उसके पुत्र के नाम बैनामा करने एवं कम से कम 5,00,000/- रूपये फिक्स डिपाजिट करने के बहाने स्वयं के लिए मांगने लगा। वहाँ मौजूद प्रार्थी के रिश्तेदारो की मौजूदगी में उभयपक्षों के बीच पंचायत भी हुई। हम लोगों ने कहा कि जमीन, जायजाद की शर्त मंजूर है। परन्तु 5 लाख रूपये की व्यवस्था नहीं हो पायेगी। इसी बात को लेकर उभयपक्षों के बीच वाद विवाद भी हो गया। वादी मुकदमा तमतमाते हुये चला गया। बाद को राय मशविरे के बाद वेजा दबाव बनाकर आर्थिक शोषण करने की गरज से उसने मनगढन्त कहानी गढ़कर यह मुकदमा दर्ज करवा दिया। वास्तव में मृतका ने अवसाद में घर में स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। प्रार्थी अथवा परिवार का कोई सदस्य इस घटना के लिए कदापि जिम्मेदार नहीं है। मुकदमे में निष्पक्ष विवेचना नहीं हो रहा है। प्रार्थी अत्यन्त गरीब, वृद्ध एवं बीमार व्यक्ति है। किसी तरह दवा ईलाज पर जिन्दा है। चलने फिरने में भी अत्यन्त कठिनाई होती है। जमानत पर रिहा होने के बाद प्रार्थी के फरार होने अथवा सबूत पक्ष के गवाहान को प्रभावित किये जाने की दूर-दूर तक कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थी जिला कारागार गोरखपुर में निरूद्ध है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा मुकदमे में कौन-कौन से साक्ष्य एकत्रित किये गये है। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। पैरवीकार की सूचना के अनुसार सहअभियुक्त लीला देवी की जमानत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी का केस भी

सहअभियुक्त लीला देवी के समरूप है। उपरोक्त के आधार पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. जमानत प्रार्थना-पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना एवं समस्त सुसंगत प्रपत्रों का परिशीलन किया।

7. प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा रामकिशुन मौर्या द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी मुकदमा की पुत्री मृतका सत्यभामा का विवाह दिनांक 04.02.2020 को आवेदक/अभियुक्त के पुत्र विवेक मौर्या के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही आवेदक/अभियुक्त एवं सहअभियुक्तगण द्वारा उसकी पुत्री सत्यभामा के साथ अतिरिक्त दहेज हेतु शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था, जिससे तंग आकर वादी की पुत्री द्वारा आत्महत्या कर ली गयी, जिसके आधार पर दिनांक 22.05.2026 को थाना चौरीचौरा, गोरखपुर पर आवेदक/अभियुक्त एवं सहअभियुक्तगण के विरूद्ध धारा- 85, 80(2), 115(2), 352 बी०एन०एस० व धारा- 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के गर्दन के सामने 27Cm x 2Cm आकार का एक लिगेचर निशान पाया गया तथा मृतका की मृत्यु लटकने से दम घुटने के कारण होने संबंधी साक्ष्य संकलित किये गये है। मृतका आवेदक/अभियुक्त एवं सहअभियुक्तगण के साथ निवास करती थी तथा उन्हीं के घर में कमरे में मृतका द्वारा फांसी लगाया जाना बताया गया है। मृतका सत्यभामा की मृत्यु लटकने से दम घुटने के कारण होने का निष्कर्ष पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चिकित्सक द्वारा अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में मृतका सत्यभामा की मृत्यु आवेदक/अभियुक्त के घर में होने एवं अभियुक्त द्वारा मृतका की मृत्यु किन परिस्थतियों में हुई के संबंध में कोई स्पष्ट कारण प्रस्तुत न किये जाने के कारण अभियुक्त द्वारा मृतका की दहेज हत्या कारित किये जाने में प्रथम दृष्टया संलिप्तता पायी जाती है। मामले की विवेचना प्रचलित है। सहअभिुक्ता लीला देवी (आवेदक/अभियुक्त की पत्नी) का जमानत प्रार्थना पत्र पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा चुका है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों एवं अभिकथित अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत, गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त सुरेश मौर्या द्वारा मु०अ०सं०-188/2026, अंतर्गत धारा- 85, 80(2), 352, 115(2) B.N.S. व धारा- 3/4 D.P.Act, थाना- चौरीचौरा, जनपद-गोरखपुर के प्रकरण में प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

<u>दिनांक 22.07.2026</u>

(चन्द्रमणि मिश्र)
प्रभारी अधिकारी न्यायालय
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या- 01,
गोरखपुर।
JO Code - UP 6250

Digitally signed by CHANDRA MANI MISHRA
Date: 2026.07.22 15:43:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court